

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25112021-231370
SG-DL-E-25112021-231370

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 23, 2021/अग्रहायण 2, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273
No. 350]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 23, 2021/AGRAHAYANA 2, 1943	[N. C. T. D. No. 273

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

संख्या 18/2021-राज्य कर

सं0फा0 03(126)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/325.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सं0 फा0 03(14)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/358, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, -

(i) शब्दों, अक्षरों और अंकों" जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं", के स्थान पर, शब्दों" जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए नियत तारीख तक, कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं"को प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(ii) तालिका में स्तंभ (4) के शीर्षक में, "कर अवधि" शब्दों, के स्थान पर, "माह/तिमाही" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

(iii) निम्नलिखित को तालिका में क्र.सं. 4,5,6 और 7 में प्रतिस्थापित किया जायेगा,

1	2	3	4
"4"	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले तीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	अप्रैल 2021
		नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मई 2021
7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पैंतालीस दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।

2. इस अधिसूचना को मई, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव- I (वित्त)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 13/2017, दिनांक 30 जून, 2017 को सं0फा0 03(14)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/358, तारीख 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 08/2021-राज्य कर, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 जिसे सं0 फा0 03(112)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/310, तारीख 17 नवम्बर, 2021 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2021

No. 18/2021- State Tax

No. F. 3(126)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/325.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby

makes the following further amendments in notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 13/2017 – State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/358, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso,-

- (i) for the words, letters and figure “required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax”, the words “liable to pay tax but fail to do so” shall be substituted;
- (ii) in the Table, in column 4, in the heading, for the words “Tax period”, the words “Month/Quarter” shall be substituted;
- (iii) in the Table, for serial number 4, 5, 6 and 7, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021 and May, 2021
5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 30 days, and 18 per cent thereafter	April, 2021
		Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	May, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 45 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of May, 2021.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal notification number 13/2017 – State Tax, dated the 30th June, 2017, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(14)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/358, dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 08/2021 – State Tax, dated the 17th November, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(112)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/310, dated the 17th November, 2021.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

संख्या 19/2021-राज्य कर

सं0फा0 03(125)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/326: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 76-2018-राज्य कर, दिनांक 03 सितम्बर, 2019, जिसे सं0फा0 03(36)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/399, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के

(i) आठवे परंतुक में, तालिका के स्थानपर, मई 2021 के 20वें दिन से प्रभावी निम्नलिखित तालिका को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"तालिका

क्र.सं. (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	करअवधि (3)	सेमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021, अप्रैल, 2021 और मई 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	मार्च, 2021 अप्रैल, 2021 मई, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पैंतालीस दिन तक विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी-मार्च, 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले साठ दिन तक"।

(ii) आठवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने नियत तारीख तक माह/तिमाही जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून, 2021 से 31 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये पांच सौ से अधिक अधित्यजन किया जाता है:

परंतु यह भी की यदि उक्त विवरणी मेंसंदेय राज्य कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस रुपये दो सौ पचास से अधिक को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह/त्रिमास जुलाई, 2017 से अप्रैल, 2021 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जून, 2021 से 31 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी की उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किये गए हैं, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत जून, 2021 की कर अवधि से या जून, 2021 को खतम तिमाही की कर अवधि से, जैसा भी मामला हो, देय विलंब फीस, जो की निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किये गए रकम से अधिक है, अधित्यजन किया जाता है, अर्थात्: -

तालिका

क्र०सं० (1)	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	रकम (3)
1.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनकी उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की राशि शून्य है	रुपये दो सौ पचास
2.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वालों के आलावा	रुपये एक हजार
3.	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ से अधिक	रुपये दो हजार पांच सौ"।

	हो और 5 करोड़ से कम हो, क्र.सं. (1) के अंतर्गत आने वाले के आलावा	
--	--	--

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव- I (वित्त)

नोट: मूल अधिसूचना सं. 76/2018, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 को सं0 फा0 03 (36)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/399, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं. 09/2021-राज्यकर, दिनांक: 17नवम्बर, 2021 जिसे सं0फा0 03(113)/वित्त (व्यय- I)/2021-22/डीएस-I/311, दिनांक: 17नवम्बर, 2021 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2021

No. 19/2021- State Tax

No. F. 3(125)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/326— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 76/2018- State Tax, dated the 3rd Sept, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(36)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd Sept, 2019, namely:-

In the said notification,-

(i) in the eighth proviso, with effect from the 20th day of May, 2021, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:—

“Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Period for which late fee waived (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	March, 2021, April, 2021 and May, 2021	Fifteen days from the due date of furnishing return
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return
		April, 2021	Forty-five days from the due date of furnishing return
		May, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January-March, 2021	Sixty days from the due date of furnishing return.”;

(ii) after the eighth proviso, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided also that for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months/quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021, the total amount of late fee under section 47 of the said Act, shall stand waived which is in excess of five hundred rupees:

Provided also that where the total amount of State tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months / quarter of July, 2017 to April, 2021, by the due date but furnish the said return between the period from the 1st day of June, 2021 to the 31st day of August, 2021:

Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for the tax period June, 2021 onwards or quarter ending June, 2021 onwards, as the case may be, shall stand waived which is in excess of an amount as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely:—

Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Amount (3)
1.	Registered persons whose total amount of State tax payable in the said return is nil	Two hundred and fifty rupees
2.	Registered persons having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	One thousand rupees
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees 5 crores in the preceding financial year, other than those covered under S. No. 1	Two thousand and five hundred rupees”.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy-I (Finance)

Note: The principal notification No. 76/2018-State Tax, dated 3rd September, 2019, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(36)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd September, 2019 and was last amended *vide* notification number 09/2021 – State Tax, dated the 17th November, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(113)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/311, dated the 17th November, 2021.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

संख्या 25/2021—राज्य कर

सं0फा0 03(123)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/327: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व) की अधिसूचना सं0 21/2019—राज्य कर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2019, जिसे सं0फा0 03(73)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/490, दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, द्वितीय परंतुक में, “मई 2021 के 31वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “जुलाई 2021 के 31वें दिन” अंकों, अक्षरों और शब्दों रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना मई 2021 के 31वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव- I (वित्त)

नोट: मूल अधिसूचना सं0 21/2019—राज्य कर, दिनांक 17 अक्टूबर, 2019, को सं0 फा0 03(73)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-VI/490, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 10/2021—राज्य कर, तारीख 17 नवम्बर, 2021, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं0फा0 03(114)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/312, तारीख 17 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

NOTIFICATIONDelhi, the 23rd November, 2021**No. 25/2021– State Tax**

No. F. 3(123)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/327.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 21/2019-State Tax, dated the 17th October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(73)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th October, 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, in the second proviso, for the figures, letters and words “31st day of May, 2021”, the figures, letters and words “31st day of July, 2021” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2021.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal notification No. 21/2019-State Tax, dated the 17th Oct, 2019 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(73)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th Oct, 2019 and was last amended by notification No. 10/2021-State Tax, dated the 17th November, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *Vide* No. F.3(114)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/312, dated the 17th November, 2021.

अधिसूचना

दिल्ली, 23 नवम्बर, 2021

संख्या 70/2020—राज्य कर

सं0फा0 03(124)/वित्त (व्यय-I)/2020-21/डीएस- I/328.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में संख्यांक सं0फा0 03(88)/वित्त (व्यय-I)/2020-21/डीएस-IV/310, तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 13/2020—राज्य कर, 31 मार्च, 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,—

(i) “किसी वित्तीय वर्ष” शब्दों के स्थान पर “2017–2018 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) “रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की” शब्दों के पश्चात् “या निर्यात के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

2. यह अधिसूचना 30 सितंबर, 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

टिप्पण—मूल अधिसूचना सं. 13/2020—राज्य कर, तारीख 31 मार्च, 2021, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में संख्यांक सं0फा0 03(88)/वित्त (व्यय-IV)/2020-21/डीएस- IV/310, तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और तत्पश्चात् सं0फा0 03(121)/वित्त (व्यय-I)/2020-21/डीएस- I/320, तारीख 18 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 61/2020—राज्य कर, तारीख 18 नवम्बर, 2021 द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd November, 2021

No 70/2020- State Tax

No. F. 3(124)/Fin.(Exp-I)/2020-21/ DS-I/328.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Department of Finance (Revenue-I), No. 13/2020 – State Tax, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (88)/Fin (Exp-IV)/2020-21/DS-IV/310, dated the 31st March, 2021, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, -

- (i) for the words “a financial year”, the words and figures “any preceding financial year from 2017-18 onwards” shall be substituted;
- (ii) after the words “goods or services or both to a registered person”, the words “or for exports” shall be inserted.

2. This notification shall come into force from the 30th September, 2020.

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note: The principal notification No. 13/2020 – State Tax, dated the 31st March, 2021 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(88)/Fin(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/310, dated the 31st March, 2021 and was subsequently amended vide notification No. 61/2020- State Tax, dated the 18th November, 2021, published vide No. F.3 (121)/Fin (Exp-I)/2020-21/DS-I/320, dated the 18th November, 2021.